IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन की चुनौतियों का विश्लेषण: अनुच्छेद 44 के परिप्रेक्ष्य में

अभिजीत कुमार यादव

शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

सारांश:

भारत में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का कार्यान्वयन एक जटिल चुनौती पेश करता है क्योंकि यह विविध कानूनी प्रणालियों में सामंजस्य स्थापित करना और लैंगिक समानता, न्याय और व्यक्तिगत अधिकारों के मुद्दों को संबोधित करना चाहता है। यूसीसी का लक्ष्य धार्मिक और प्रथागत प्रथाओं पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों को सभी नागरिकों पर लागू नागरिक कानूनों के एकल सेट से बदलना है, चाहे उनकी धार्मिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। हालाँकि, यूसीसी को लागू करने में शामिल व्यावहारिक चुनौतियाँ महत्वपूर्ण हैं, जिनमें मौजूदा व्यक्तिगत कानूनों के साथ यूसीसी को संतुलित करना, धार्मिक संवेदनशीलताओं का प्रबंधन करना और संवैधानिक और राजनीतिक विचारों को ध्यान में रखना शामिल है। यूसीसी के सामाजिक–आर्थिक निहितार्थ भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह समाज के विभिन्न पहलुओं, जैसे विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने को प्रभावित कर सकता है। भारत के 22वें विधि आयोग ने हाल ही में इस विषय पर फिर से विचार किया है और सुधार और कानूनी जागरूकता की जटिलता को दूर करने के लिए व्यापक परामर्श और आम सहमति निर्माण की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए यूसीसी पर जनता की राय और विचार मांगे हैं।

मुख्य शब्द : ***लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, व्यक्तिगत कानून, कार्यान्वयन चुनौतियाँ ।***

प्रस्तावना

भारत में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे धार्मिक समूहों का विरोध, राजनीतिक समझौते का अभाव और तार्किक बाधाएँ। यूसीसी का उद्देश्य नागरिक कानूनों का एक मानकीकृत सेट स्थापित करना है जो न्याय, लैंगिक समानता और व्यक्तिगत अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी धार्मिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। हालाँकि, भारत के विविध धार्मिक और सांस्कृतिक वातावरण के कारण यूसीसी को लागू करने की जटिलता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यूसीसी के प्रस्ताव ने समय के साथ चर्चाओं और विवादों को प्रेरित किया है विवाह, तलाक और विरासत को नियंत्रित करने वाले धार्मिक कानूनों को खत्म करने के लिए एकल कोड पर जोर दे रहे हैं, जबकि विरोधियों का तर्क है कि यह भारत की विविधता को कमजोर कर सकता है। यूसीसी को लागू करने में आने वाली बाधाओं में इसे मौजूदा व्यक्तिगत कानूनों के साथ सामंजस्य बनाना, धार्मिक भावनाओं को संभालना, संवैधानिक और राजनीतिक चिंताओं को संबोधित करना और सामाजिक आर्थिक परिणामों पर विचार करना शामिल है। यूसीसी का सामाजिक–आर्थिक प्रभाव पर्याप्त है और समग्र रूप से समाज पर इसके प्रभावों को समझने के लिए एक व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता है।

न्यायपालिका यूसीसी को निष्पादित करने में निष्पक्षता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संदर्भों को ध्यान में रखते हुए कानूनों की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यूसीसी का विचार कई वर्षों से भारतीय राजनीति में व्यापक चर्चा का विषय रहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता की मांग करता है, लेकिन विधि आयोगों द्वारा कई परामर्शों और चर्चाओं के बावजूद कार्यान्वयन में देरी का सामना करना पड़ा है। सरकार की ओर से विस्तृत यूसीसी मसौदे की अनुपस्थिति ने विभाजनकारी बहस को बढ़ावा दिया है, जिसमें इस बात पर कोई स्पष्ट समाधान नहीं है कि व्यावहारिक रूप से एकरूपता कैसे हासिल की जाएगी।

भारत में समान नागरिक संहिता का इतिहास

भारत में नीति–निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि इसे लागू करना राज्य की जिम्मेदारी है। यह न केवल भारत में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, बल्कि 1985 में शाह बानो मामले के दौरान समकालीन राजनीति में भी एक अत्यधिक बहस का विषय बन गया। उस समय चर्चा मुस्लिम पर्सनल लॉ के आसपास केंद्रित थी, जो आंशिक रूप से शरिया कानून पर आधारित है और 1937 के बाद से इसमें सुधार नहीं किया गया है, जिससे देश में एकतरफा तलाक और बहुविवाह की अनुमति मिल गई है। शाहबानो मामला एक राजनीतिक सार्वजनिक मामले में बदल गया जो सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करने की कोशिश करते हुए पहचान की राजनीति–विशिष्ट धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमला करने पर केंद्रित था। गोवा में एक समान परिवार कानून है, जो इसे समान नागरिक संहिता वाला एकमात्र भारतीय राज्य बनाता है। 1954 का विशेष विवाह अधिनियम किसी भी नागरिक को किसी विशिष्ट धार्मिक व्यक्तिगत कानून के दायरे से बाहर नागरिक विवाह करने की अनुमति देता है। ये व्यक्तिगत कानून शुरू में ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित किए गए थे, मुख्य रूप से हिंदू और मुस्लिम नागरिकों के लिए। अंग्रेज समुदाय के नेताओं के विरोध का सामना करने से सावधान थे और इस घरेलू क्षेत्र में आगे शामिल होने से बचते थे। समान नागरिक संहिता की मांग सबसे पहले बीसवीं सदी की शुरुआत में महिला कार्यकर्ताओं द्वारा उठाई गई थी, जिसका लक्ष्य महिलाओं के अधिकार, समानता और धर्मनिरपेक्षता था। 1947 में आजादी मिलने तक, महिलाओं, विशेषकर हिंदू विधवाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कुछ कानूनी सुधार किए गए। 1956 में, भारतीय संसद ने भारी विरोध के बावजूद हिंदू कोड बिल पारित किया। हालाँकि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनके समर्थकों और महिला कार्यकर्ताओं ने समान नागरिक संहिता की वकालत की, लेकिन कड़े विरोध के कारण अंततः उन्हें इसे निदेशक सिद्धांतों में शामिल करने के लिए समझौता करना पड़ा। समान नागरिक संहिता पर बहस भारत में औपनिवेशिक युग से चली आ रही है। अक्टूबर 1840 की लेक्स लोकी रिपोर्ट ने अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानून को संहिताबद्ध करने में एकरूपता के महत्व और आवश्यकता पर जोर दिया, लेकिन व्यक्तिगत कानूनों को बाहर करने की सिफारिश की। इस तरह के संहिताकरण से हिंदुओं और मुसलमानों का। भारत में धार्मिक विभाजन की ब्रिटिश समझ के अनुसार, उन्होंने विभिन्न समुदायों (हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और बाद में पारसी) के धार्मिक ग्रंथों और रीति–रिवाजों द्वारा शासित होने के लिए इस क्षेत्र को अलग कर दिया। ये कानून स्थानीय अदालतों या पंचायतों द्वारा लागू किए गए थे एक ही धर्म के लोगों के बीच नागरिक विवादों से जुड़े नियमित मामलों में राज्य केवल असाधारण मामलों में ही हस्तक्षेप करेगा। ब्रिटिशों ने भारतीय जनता को अपने घरेलू मामलों में स्वशासन की अनुमति दी, रानी की 1859 की उद्घोषणा में धार्मिक मामलों में पूर्ण हस्तक्षेप न करने का वादा किया गया था। व्यक्तिगत कानूनों में विरासत, उत्तराधिकार, विवाह और धार्मिक समारोह शामिल थे। सार्वजनिक क्षेत्र अपराध, भूमि संबंध, अनुबंध कानून और साक्ष्य से संबंधित ब्रिटिश और एंग्लो–इंडियन कानून द्वारा शासित था, ये नियम सभी नागरिकों पर लागू होते हैं, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो।

समान नागरिक संहिता पर सुप्रीम कोर्ट के विचार

समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में विचार किया गया है। तदनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने कई ऐतिहासिक निर्णय और टिप्पणियाँ पारित की हैं जिन्होंने यूसीसी पर चर्चा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनमें से कुछ में शामिल हैं:–

1. **मो. अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम (1985):** इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत मुस्लिम महिलाएं इद्दत अवधि से परे भरण–पोषण की हकदार थीं। इसमें कहा गया कि यूसीसी कुछ धार्मिक विचारधाराओं पर आधारित विरोधाभासों को दूर करने में मदद करेगा।
2. **सरला मुद्गल बनाम भारत संघ (1995):** इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक हिंदू पति, इस्लाम में परिवर्तित होने पर, अपनी पहली शादी को खत्म किए बिना दूसरी शादी नहीं कर सकता। अदालत ने लैंगिक न्याय और समानता सुनिश्चित करने के लिए यूसीसी की आवश्यकता पर जोर दिया।
3. **शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017):** इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को यह कहते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया कि यह मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। फैसले ने लिंग भेदभाव को संबोधित करने और विवाह और तलाक को नियंत्रित करने वाले समान कानूनों को सुनिश्चित करने के लिए यूसीसी बनाने की तात्कालिकता को रेखांकित किया।
4. **जोसेफ शाइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2018):** इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने व्यभिचार से संबंधित आईपीसी की धारा 497 को इस आधार पर रद्द कर दिया कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करती है। अदालत ने लिंग–तटस्थ कानूनों की आवश्यकता पर जोर दिया और व्यक्तिगत कानूनों में विसंगतियों को दूर करने के लिए यूसीसी के अधिनियमन का सुझाव दिया।
5. **इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य (2018):** इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने केरल के सबरीमाला मंदिर में मासिक धर्म आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को संबोधित किया। फैसले ने परस्पर विरोधी अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करने और सभी धर्मों में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए यूसीसी की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ :

समान नागरिक संहिता एक विवादास्पद मुद्दा है। वास्तव में सभी समूहों और समुदायों को नियंत्रित करने वाले नियमों का एक सेट विकसित करने का कार्य एक चुनौतीपूर्ण और कठिन कार्य हो सकता है, क्योंकि हितों और विचारों के व्यापक समूह को ध्यान में रखा जाना चाहिए। समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन में कुछ बाधाएँ हैं :–

1. **धार्मिक अल्पसंख्यक :** अल्पसंख्यक समुदाय अक्सर यूसीसी को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने के प्रयास के रूप में देखते हैं और तर्क देते हैं कि यूसीसी के कार्यान्वयन से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में निहित उनके धर्म के अधिकार में बाधा उत्पन्न होगी। मुस्लिम समुदाय अक्सर खुद को यूसीसी के लक्ष्य के रूप में देखता है। अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विधि आयोग से पूछा कि ''जब सरकार आदिवासियों को बाहर करने के लिए तैयार है तो केवल मुसलमानों को प्रस्तावित यूसीसी से छूट क्यों नहीं दी जा रही है।'' यह इस तथ्य की स्पष्ट अभिव्यक्ति है कि मुसलमान अभी भी खुद को यूसीसी के ''लक्ष्य समूह'' के रूप में देखते हैं। यह एक ऐसी चुनौती है जिसे पार करना बहुत कठिन है लेकिन यूसीसी के सुचारू कार्यान्वयन के लिए इसे पार करना आवश्यक है। यह तर्क कि यूसीसी धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करेगा, एक गलत

धारणा है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती आयुक्त, मद्रास बनाम श्री शिरुर मठ के श्री लक्ष्मीन्द्र तीर्थ स्वामीयर के मामले में आवश्यक धार्मिक अभ्यास परीक्षण तैयार किया था। इस परीक्षण के अनुसार, केवल आवश्यक धार्मिक प्रथाओं को अनुच्छेद 25 द्वारा संरक्षित किया जाएगा। कई धर्मनिरपेक्ष प्रथाओं को धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा माना जा सकता है। हालाँकि, ऐसी धारणाएँ, वास्तव में, अंधविश्वास हो सकती हैं और धर्म के लिए आवश्यक नहीं हैं इसलिए, उन्हें भारत के संविधान द्वारा संरक्षित नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दरगाह समिति अजमेर बनाम सैयद हुसैन अली और अन्य के मामले में यह माना।

यूसीसी वास्तव में धर्मनिरपेक्ष पहलुओं से निपटना चाहता है जो धर्म के लिए आवश्यक नहीं हैं, और इसका मतलब है कि ये धर्मनिरपेक्ष पहलू अनुच्छेद 25 द्वारा संरक्षित नहीं हैं। अल्पसंख्यक समुदायों को भी यही समझाया जाना चाहिए। अनुच्छेद 25 खंड (2) उपखंड (बी) अनुच्छेद 25 के लिए एक अपवाद प्रदान करता है। यह कहता है कि यदि कोई कानून सकारात्मक सुधार और सामाजिक कल्याण की वकालत करता है, तो इस अनुच्छेद के संचालन प्रभावित नहीं होगा। भारत में 17 करोड़ मुसलमान हैं। भले ही यह एक बड़ी संख्या की तरह लग सकता है, वे अभी भी भारत में अल्पसंख्यक समुदाय हैं। मुस्लिम समुदाय को लगता है कि यूसीसी का कार्यान्वयन उनकी विशिष्ट धार्मिक प्रथाओं के लिए खतरा होगा। उन्हें लगता है कि यूसीसी के कार्यान्वयन से समाज में एकरूपता आएगी और उनके धर्म में हस्तक्षेप होगा।

2. **जनजातीय क्षेत्र :** समान नागरिक संहिता, भले ही भारत में लागू हो, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों पर लागू नहीं हो सकती है। भारतीय संविधान की अनुसूची 6 के अनुसार, जब तक असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्य विधानसभाएं केंद्र के फैसले की पुष्टि नहीं करतीं, तब तक यह इन राज्यों के कुछ आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। यही कारण है कि यदि इन राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू की जानी है तो उनके विचारों पर विचार किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 371(ए) और 371(जी) भी संसदीय कानून को प्रचलित प्रथाओं पर लागू होने से बाहर रखते हैं जब तक कि नागालैंड और मिजोरम के विधानसभाएं अपनी स्वीकृति नहीं दे देतीं। इसके लिए विभिन्न समुदायों के प्रथाओं और मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रावधानों के बारे में सभी समुदायों के बीच आम सहमति आवश्यक है।
3. **कानूनी जटिलताएं :** अनुच्छेद 44 स्पष्ट रूप से नहीं बताता है कि समान नागरिक संहिता कैसे बनाई जानी चाहिए ऐसे निर्णयों के कुछ उदाहरण हैं अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम और अन्य, जॉर्डन डिएंगदेह बनाम एसएस चोपड़ा (1985) और जॉन वल्लमट्टम और अन्य बनाम भारत संघ (2003)। हालांकि, अदालत को भी नहीं पता कि इस नागरिक संहिता को कैसे तैयार किया जाना चाहिए। सभी व्यक्तिगत कानूनों और समान नागरिक संहिता के लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। क्या यूसीसी के तहत विवाह को एक पवित्र अनुबंध के रूप में देखा जाना चाहिए या दोनों? क्या पहले चचेरे भाई–बहनों के विवाह की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं? क्या सभी परिस्थितियों में पुरुषों और महिलाओं के बीच संपत्ति का बंटवारा समान होना चाहिए या नहीं? इन सवालों के जवाब जनता की राय को ध्यान में रखकर दिए जाने की जरूरत है।
4. **धर्म के साथ टकराव :** ऐसी आशंका है कि यूसीसी संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के साथ असंगत हो सकता है। ये अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म का पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन के बारे में है। ये मौलिक अधिकार न्यायसंगत हैं और इन्हें अदालत में लागू किया जा सकता है लेकिन यूसीसी सिर्फ एक डीपीएसपी है जो अनुच्छेद 44 के तहत कहा गया है, यह न्यायोचित नहीं है, इसलिए यूसीसी का धर्म के अधिकार के साथ टकराव का कोई आधार नहीं है।

विभिन्न संस्कृतियों के पारंपरिक मानदंड बहुत भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत कानूनों की विस्तृत श्रृंखला और उनका पालन करने की प्रतिबद्धता के कारण किसी भी प्रकार की एकरूपता प्राप्त करना कठिन है। विभिन्न समुदायों के बीच आम सहमति तक पहुंचना काफी कठिन है। कई समुदाय, विशेष रूप से अल्पसंख्यक, समान नागरिक संहिता को धर्म का पालन करने की उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप के रूप में देखते हैं। उन्हें चिंता है कि यूसीसी अल्पसंख्यक रीति–रिवाजों और परंपराओं पर कोई ध्यान नहीं देगा। इसके अलावा यह उन नियमों को लागू करेगा जो अधिकतर बहुसंख्यक धार्मिक समूहों से प्रभावित होंगे।

5. **व्यक्तिगत कानूनों के साथ संगत नहीं :** भारत में कई प्रकार के व्यक्तिगत कानून हैं जैसे शरीयत कानून, ईसाई कानून, हिंदू कानून, पारसी कानून, आदि। इसलिए, जबकि आधुनिक भारत में व्यक्तिगत कानून का एक सुसंगत सेट देश की अखंडता और गरिमा के लिए आवश्यक और हानिकारक दोनों है, धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरोध के कारण इसका प्रवर्तन बहुत विवादित और विवादास्पद है। व्यक्तिगत कानून धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं, इसलिए उनमें हस्तक्षेप करना अनावश्यक है क्योंकि इससे धार्मिक संगठनों के बीच दुश्मनी और तनाव पैदा हो सकता है।
6. **राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी :** हमारे संविधान की प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित करती है और सभी को अपने धर्म का पालन करने और प्रचार करने की अनुमति देती है। इसके अतिरिक्त, यह संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत अल्पसंख्यक समुदायों को उनके हितों और संस्कृति को बचाने के लिए कुछ विशेष अधिकार भी प्रदान करता है। इसलिए समान नागरिक संहिता को व्यवहार में लाने के लिए एक मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ–साथ हर धर्म और समुदाय के लिए खुली मानसिकता की भावना और भारत के प्रत्येक हिस्से के लिए आपसी प्रशंसा और समझ की आवश्यकता होती है और वर्तमान में हमारे देश के राजनीतिक नेताओं में उस इच्छाशक्ति का अभाव है।

   अधिकारियों के पास वास्तव में महत्वपूर्ण धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों को निरस्त करने के परिणामों का सामना करने और लोगों को न्याय और परिवर्तन के लिए राजी करने की इच्छाशक्ति नहीं है जो वे एक देश के रूप में विकसित होने के लिए आम जनता के लिए लाना चाहते हैं।
7. **जागरूकता की कमी और गलत धारणाएँ :** तथ्य यह है कि अधिकांश लोग अभी भी नहीं जानते हैं कि यूसीसी क्या है और इसके लिए जागरूकता की कमी एक और चुनौतीपूर्ण कार्य है। लोग अभी भी यूसीसी के बारे में गुमराह हैं और इसमें बहुत सारी गलत धारणाएँ शामिल हैं, जिससे इसे अपनाने के बारे में तार्किक बात करना मुश्किल हो जाता है।

   यूसीसी के संबंध में संभावित गलत धारणाओं ने विभिन्न धार्मिक समूहों, विशेषकर अल्पसंख्यकों के बीच चिंता पैदा कर दी है। उनका मानना है कि यूसीसी उनकी धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं के विपरीत है। कई लोगों द्वारा इसे लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण के घृणित खेल के रूप में भी देखा जाता है।

निष्कर्ष

भारत का संविधान विविधता को कायम रखता है। भारतीय व्यवस्था ने लंबे समय से अपने धार्मिक कानूनों का पालन करने के अधिकार का समर्थन किया है, खासकर अल्पसंख्यक समूहों के लिए। लैंगिक समानता अनुच्छेद 44 के बजाय अनुच्छेद 14 में उल्लिखित एक संवैधानिक आवश्यकता है। जीवन के सभी पहलुओं में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना सरकार की जिम्मेदारी है। समान नागरिक संहिता लागू करना लैंगिक समानता की गारंटी नहीं देता। समान कानून

होने से भेदभाव स्वतः समाप्त नहीं हो जाता। भारतीय लोकतंत्र की उन्नति के लिए सख्त एकरूपता लागू करने के बजाय विविधता में सद्भाव को बढ़ावा देने पर ध्यान देना अधिक महत्वपूर्ण है। भारत में औपनिवेशिक युग के बाद से, सरकार ने व्यक्तिगत कानूनों के प्रति एक उदासीन दृष्टिकोण अपनाया है, जिससे विभिन्न धार्मिक समुदायों को अपने स्वयं के धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शासन करने की अनुमति मिलती है। हालाँकि, इन व्यक्तिगत कानूनों के पुनर्मूल्यांकन और आधुनिकीकरण की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे समान नागरिक संहिता के बजाय भारतीय संविधान और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों दोनों का अनुपालन करते हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने से देश की विविधतापूर्ण और धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को खतरा पैदा हो सकता है। एकरूपता लागू करने के बजाय सभी व्यक्तिगत कानूनों में आवश्यक संशोधनों के माध्यम से सामाजिक और लैंगिक न्याय प्राप्त करने पर प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकार के लिए भारतीय समाज की विविधता और जटिलता की रक्षा करना महत्वपूर्ण है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. मिश्रा, गौरवी, (2021). कंटेशन बीटवीन यूनिफार्म सिविल कोड एण्ड द प्रिंसीपल ऑफ सेक्युलरिज्म इन द इण्डियन कॉन्स्टिट्युशन, साउथ एशियन लॉ रिव्यू जर्नल वाल्युम 7 https://thelawbrigade.com/wp-content/uploads/2021/06/Gauravi-Mishra-SALRJ.pdf
2. मोदी, नवाज बी. (1987). ''द प्रेस इन इंडियाः द जजमेंट ऑफ शाह बानो एंड इट्स ऑफ्टरमाथ'' एशियन सर्वे 27, सं. 8 पृ0 सं0 935–953
3. घोष, पार्थ एस. टेलर वी फ्रांसिस, (2018). ''द पालिटिक्स ऑफ साउथ एशिया : आइडेन्टिटी, नेशनलिज्म एंड द यूनिफॉर्म सिविल कोड''
4. एग्नेस, फ्लेविया. (2011). ''फैमिली लॉ और कॉन्स्टियूशनल क्लेम, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, फैमिली लॉ'', वॉल्युम 1
5. सेठ, लीला. (2005). ''द यूनिफॉर्म सिविल कोडः टूवार्ड्स जेन्डर जस्टिस'' इंडिया इंटरनेशनल सेंटर क्वार्टरली 31, नं. 4, पृ0 सं0 40–54
6. मेन्स्की, वर्नर, (2008) ''द यूनिफॉर्म सिविल कोड डिबेट इन इण्डियन लॉः न्यू डेवलपमेन्ट्स एण्ड चेन्जिंग एजेण्डा'' जर्मन लॉ जर्नल 9, नं. 3 पृ0 सं0 211–250
7. टीम एन. आई. सी. (12 फरवरी 2024). ''यूनिफॉर्म सिविल कोडः मीनिंग, कॉन्स्टियूशनल प्रोविजन्स, डिबेट्स, जजमेंट्स नेक्स्ट आई. ए. एस. ब्लॉग, *https://www.nextias.com/blog/uniform-civil-code-ucc/*
8. यूनिफॉर्म सिविल कोड एण्ड द चैलेंजेस इन इट्स इम्पलेमेन्टेशन, *https://www.legalserviceindia.com/legal/article-14040-uniform-civil-and-the-challenges-in-it-s-implementation.html*
9. भारतीय संविधान अनुच्छेद 25
10. भारतीय संविधान अनुच्छेद 26
11. ह्वाट इज द_यूनिफॉर्म सिविल कोड? फोरम आई. ए. एस. ब्लॉग. (2021, नवम्बर 8). फोरम आई. ए. एस. *https://forumias.com/blog/answered-discuss-various-challenges-in-the-implementation-of-uniform-civil-code-in-india/*
12. चक्रवर्ती वरुना, (2018). चैलेंजिंग आस्पेक्ट्स ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इण्डिया, (ijser) *https://www.ijser.org/researchpaper/Challenging-aspects-Of-Uniform-Civil-Code-In-India.pdf*.
13. भारतीय संविधान अनुच्छेद 29 एवं 30
14. खुराना, गीतांजलि. (2021 अक्टूबर 2). चैलेंजेस इन इम्पलेमेन्टेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इण्डिया. *https://www.thelawmentor.org/post/challenges-in-implementing-uniform-civil-code-in-india*